

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता-प्रथम
बाढ़ खण्ड पूरनपुर, पीलीभीत

प्रेषित,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
लखनऊ।

पत्रांक : 135 / बा0ख0पू0पी0 / टी-1 / पीलीभीत, दिनांक : 06.07.17

विषय:- अतिअल्प कालीन ई-निविदा सूचना-02/ए0ई0/2017-18 के प्रकाशन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

अतिअल्प कालीन ई-निविदा सूचना-02/ए0ई0/2017-18 की 06 प्रतियां संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इनका प्रकाशन अंग्रेजी एवं हिन्दी के राष्ट्रीय स्तर/राज्य स्तर के कम से कम दो समाचार-पत्रों में तत्काल प्रकाशित करने की कृपा करें ।

संलग्नक:-1 टेण्डर की हार्ड कापी 6 नग।

2. टेण्डर की साफ्ट कापी-1 नग।

भवदीय

सहायक अभियन्ता-प्रथम
बाढ़ खण्ड पूरनपुर, पीलीभीत

पत्रांक:- / बा0ख0पू0पी0 / तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य अभियन्ता (शारदा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 बरेली।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, पीलीभीत।
- 3- पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता बाढ़ मण्डल लखीमपुर-खीरी।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उ0प्र0, लखनऊ को टेण्डर नोटिस बिल ऑफ क्वान्टिटी सी0डी0 सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड शारदा नगर लखीमपुर, खीरी।
- 8- अधिशासी अभियन्ता, शारदा सागर खण्ड, पीलीभीत।
- 9- जिला सूचना अधिकारी, पीलीभीत।
- 10- सहायक अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, बाढ़ खण्ड पूरनपुर, पीलीभीत।
- 11- अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, (प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड) पीलीभीत।
- 12- नोटिस बोर्ड हेतु।

सहायक अभियन्ता-प्रथम
बाढ़ खण्ड पूरनपुर, पीलीभीत

कार्यालय सहायक अभियन्ता-प्रथम

बाढ़ खण्ड, पूरनपुर (पीलीभीत)

अति अल्पकालीन ई-टेंडरिंग सूचना सं०-02/स०अ०/2017-18

महामहिम राज्यपाल महोदय उ०प्र० की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्यो की ऑनलाइन निविदाये, सिंचाई विभाग में कॉलम 8 के अनुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 13.07.2017 को अपराह्न 1:00 तक आमंत्रित की जाती हैं, जो दिनांक 13.07.2017 को गठित समिति द्वारा अपराह्न 4:00 ऑनलाईन खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा सार्वजनिक अवकाश की स्थिति में निविदाये अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर खोली जायेगी। निविदाये दिनांक 07.07.2017 की अपराह्न 12:00 बजे से दिनांक 13.07.2017 के अपराह्न 12:00 बजे तक बेवसाईट <http://etender.up.nic.in> से डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

लाट नं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित धनराशि रू० में	धरोहर धनराशि रू० में	ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. में	वैट एवं स्टेशनरी शुल्क रू० में	कार्य हेतु निर्धारित समय	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जनपद पीलीभीत में शारदा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम राहुलनगर गांधी नगर, श्रीनगर आदि ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा हेतु पूर्व में बन्द कराये गये सुतिया के मुहाने की मरम्मत के कार्य। रीच 60से 80 मीटर	200000.00	20000.00	75.00	11+114	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च
2	जनपद पीलीभीत में शारदा नदी के बायें किनारे पर स्थित अति संवेदनशील ग्राम श्री नगर राणाप्रतापनगर नहरोसा, आदि ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा हेत पूर्व निर्मित बाढ़ संरचनाओं की मरम्मत के कार्य। स्टड न० 19,20,21,22	200000.00	20000.00	75.00	11-00	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च
3	जनपद पीलीभीत में शारदा नदी के बायें किनारे पर स्थित अति संवेदनशील ग्राम श्री नगर राणाप्रतापनगर नहरोसा, आदि ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा हेत पूर्व निर्मित बाढ़ संरचनाओं की मरम्मत के कार्य। स्टड न० 23,24,25,26,27	200000.00	20000.00	75.00	11-00	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च
4	जनपद पीलीभीत में देवहा नदी के वाये किनारे पर स्थित मनकामेश्वर मन्दिर की सुरक्षा हेतु क्षतिग्रस्त स्टड की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना कार्य। रीच- स्टड नं० 1 से 3 तक	150000.00	15000.00	75.00	11-00	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च
5	जनपद पीलीभीत में देवहा नदी के वाये किनारे पर स्थित मनकामेश्वर मन्दिर की सुरक्षा हेतु क्षतिग्रस्त स्टड की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना कार्य। रीच- स्टड नं० 4 से 6 तक	150000.00	15000.00	75.00	11-00	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च
6	जनपद पीलीभीत में देवहा नदी के बायें किनारे पर स्थित मनकामेश्वर मंदिर की सुरक्षा हेतु क्षतिग्रस्त स्टड की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना कार्य। (स्टड सं० 7 व 8)	200000.00	20000.00	75.00	11-00	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च
7	जनपद पीलीभीत में देवहा नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम भौरुआ, रजवापुर आदि ग्रामों को बाढ़ के कटान से बचाव हेतु कटर सं०-1, 2, 3, 4 व 5 के निर्माण का कार्य।	190000.00	19000.00	75.00	11-00	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च
8	जनपद पीलीभीत में देवहा नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम भौरुआ, रजवापुर आदि ग्रामों को बाढ़ के कटान से बचाव हेतु कटर सं०-6, 7, 8, 9 व 10 के निर्माण का कार्य।	190000.00	19000.00	75.00	11-00	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च
9	जनपद पीलीभीत में देवहा नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम भौरुआ, रजवापुर आदि ग्रामों को बाढ़ के कटान से बचाव हेतु कटर सं०-11, 12, 13, 14 व 15 के निर्माण का कार्य।	190000.00	19000.00	75.00	11-00	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च
10	जनपद पीलीभीत में देवहा नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम भौरुआ, रजवापुर आदि ग्रामों को बाढ़ के कटान से बचाव हेतु कटर सं०-16 व 17 के निर्माण का कार्य।	190000.00	19000.00	75.00	11-00	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च
11	जनपद पीलीभीत में देवहा नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम भौरुआ, रजवापुर आदि ग्रामों को बाढ़ के कटान से बचाव हेतु कटर सं०-18 व 19 के निर्माण का कार्य।	190000.00	19000.00	75.00	11-00	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च
12	जनपद पीलीभीत में देवहा नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम भौरुआ, रजवापुर आदि ग्रामों को बाढ़ के कटान से बचाव हेतु कटर सं०-20 व 21 के निर्माण का कार्य।	190000.00	19000.00	75.00	11-00	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च
13	जनपद पीलीभीत में देवहा नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम भौरुआ, रजवापुर आदि ग्रामों को बाढ़ के कटान से बचाव हेतु कटर सं०-22 व 23 के निर्माण का कार्य।	190000.00	19000.00	75.00	11-00	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च
14	जनपद पीलीभीत में देवहा नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम भौरुआ, रजवापुर आदि ग्रामों को बाढ़ के कटान से बचाव हेतु कटर सं०-24 व 25 के निर्माण का कार्य।	190000.00	19000.00	75.00	11-00	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च

15	जनपद पीलीभीत में देवहा नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम भौरुआ, रजवापुर आदि ग्रामों को बाढ़ के कटान से बचाव हेतु कटर सं०-26 व 27 के निर्माण का कार्य।	190000.00	19000.00	75.00	11-00	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च
16	जनपद पीलीभीत में देवहा नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम भौरुआ, रजवापुर आदि ग्रामों को बाढ़ के कटान से बचाव हेतु कटर सं०-28 व 29 के निर्माण का कार्य।	190000.00	19000.00	75.00	11-00	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च
17	जनपद पीलीभीत में कैलाश नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम उडरा, बैनी भदसरा में कटर संख्या-1, 2, 3 व 4 का निर्माण कार्य।	196000.00	19600.00	75.00	11-00	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च
18	जनपद पीलीभीत में कैलाश नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम उडरा, बैनी भदसरा में कटर संख्या-5, 6, 7 व 8 का निर्माण कार्य।	196000.00	19600.00	75.00	11-00	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च
19	जनपद पीलीभीत में कैलाश नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम उडरा, बैनी भदसरा में कटर संख्या-9, 10, 11 व 12 का निर्माण कार्य।	196000.00	19600.00	75.00	11-00	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च
20	जनपद पीलीभीत में कैलाश नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम उडरा, बैनी भदसरा में कटर संख्या-13, 14, 15 व 16 का निर्माण कार्य।	196000.00	19600.00	75.00	11-00	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च
21	जनपद पीलीभीत में देवहा नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम प्यास, गौटिया में 6, 7, 8, 9 व 10 नं० कटर निर्माण का कार्य।	190000.00	19000.00	75.00	11-00	10 दिवस	डी श्रेणी एवं उच्च

निविदा की शर्त :-

- 1- शासनादेश संख्या-16/326/17-27-सिं-03-08 टी०/84 लखनऊ, दिनांक 21.04.2017 एव शासनादेश संख्या-03/2017/1067/78-2-2017-42 आई०टी०/2017 लखनऊ, दिनांक 12.05.2017 के प्राविधानुसार निविदादाता निविदा प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करें।
- 2- निविदा के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (IDT-I) एवं हैसियत प्रमाण-पत्र (IDT-2), स्वघोषणा प्रमाण-पत्र (IDT-3), धरोहर धनराशि दरों की वैधता से सम्बन्धित स्टाम्प पेपर, निविदा प्रपत्र के मूल्य से सम्बन्धित बैंक ड्राफ्ट एवं अन्य समस्त सम्बन्धित अभिलेखों की स्केन प्रति बेवसाइट पर उपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। बेवसाइट पर डाइंग उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, पूरनपुर-पीलीभीत से प्राप्त कर सकते हैं।
- 3- अपलोड की गई निविदाओं के मूल प्रपत्र भाग (IDT-I), (IDT-2), (IDT-3), निविदा मूल्य का बैंक ड्राफ्ट, स्टाम्प पेपर, धरोहर धनराशि आदि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 13.07.2017 को अपराह्न 2:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4- कॉलम नं० 5 व 6 में अंकित निविदा मूल्य एवं बैट तथा स्टेशनरी शुल्क हेतु किसी शेड्यूल बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो "अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, पूरनपुर-पीलीभीत" के पक्ष में, पीलीभीत में देय हो को स्केन कर निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा एवं बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति शर्त सं०-3 के अनुसार कार्यालय में निर्धारित समय के अन्तर्गत जमा करनी होगी।
- 5- प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर धनराशि जैसा कि कॉलम-4 में दर्शाया गया है, को स्केन कर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा, जो डाकघर की एन०एस०सी०/शिड्यूल बैंक एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० के रूप में हो एवं अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, पूरनपुर-पीलीभीत के पदनाम से बंधक हो। धरोहर धनराशि की मूल प्रति शर्त-3 के अनुसार कार्यालय में निर्धारित समय के अन्तर्गत जमा करना अनिवार्य होगा।
- 6- निविदा के साथ रू० 100.00 के नाम जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर 1.00/- (एक रूपये) की रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध की वैधता लिखना होगा कि, दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी, इससे पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी, नियमानुसार देय बिक्रीकर, आयकर, स्टैम्प, ड्यूटी, रायल्टी, एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप देनी होगी। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी जमा करना अनिवार्य होगा।
- 7- कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
- 8- राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। अनुबन्ध/पट्टा गठित होने के बाद यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है, तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध/पट्टे को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- 9- निविदादाता एक कार्य की केवल एक ही निविदा क्रय कर सकेगा व डाल सकेगा।
- 10- शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2-आडिट/08टी०सी०-2, दिनांक 08.06.2012 के अनुसार कार्यों की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक कम दर देने पर 0.5 प्रतिशत, प्रति 1 प्रतिशत कमी पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक दरों में कमी पर प्रति 1 प्रतिशत कमी पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त आंगणित दरों पर परफारमेन्स धरोहर धनराशि देय होगी। उक्त धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करने की बाध्यता होगी।

- 11- यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध, अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दवाब/असम्यक असर डालता है, तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम दरों की स्थिति में भी उसकी निविदा से 10 प्रतिशत वसूली की जा जायेगी सकती हैं।
- 12- यदि किसी निविदादाता द्वारा निविदा विलम्ब से प्राप्त होती है, तो उसका उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा।
- 13- विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा खोलने के स्थान/तिथि में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के सूचना-पट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी, जो विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- 14- चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र व स्वघोषणा प्रमाण-पत्र दो वर्ष तक मान्य होंगे जिसके फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संदिग्ध काली सूची में दर्ज करने के लिये सम्बन्धित को संदर्भित कर दिया जायेगा।
- 15- प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों में पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता को **IDT-1, IDT-2, IDT-3** तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि आदि नियमानुकूल उपलब्ध कराई गयी है अथवा नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या सम्बन्धित अभिलेख असंतोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गई दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेंगी।
- 16- निविदादाता द्वारा पैन (PAN) एवं टिन (TIN) नम्बर दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 17- उपरोक्त समस्त कार्य अति-संवेदनशील प्रकृति के हैं जिन्हें प्रत्येक दशा में शीघ्र प्रारम्भ कराकर निर्धारित समयवधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 18- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 19- ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा सम्बन्धी (**First Blood Relation & Their spouse**) जैसे कि अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, खण्डीय लेखाधिकारी, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, के पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदार का एफ़ीडेविट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो कि खण्ड या वृत्त में कार्य है।
- 20- पावर आफ अटार्नी, पार्टनशिप डीड की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 21- यदि ठेकेदार द्वारा विभागीय दरों से अत्यंत कम दर दी जाती है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार से कम दर देने का विस्तृत विवरण मांगे। यदि इस आशंका की पुष्टि हो जाती है, कि दी गयी दरों पर उच्च गुणवत्ता का कार्य कराना संभव नहीं है तो सक्षम अधिकारी गुणदोष के आधार पर निविदा निरस्त कर सकते हैं।
- 22- निविदा प्रपत्र में दी गयी दरों को अंकों एवं शब्दों में अंकित करना आवश्यक होगा जिसमें भिन्नता है तो निविदा निरस्त की जा सकती हैं।
- 23- कार्यों की मात्रा में भिन्नता संभव है।
- 24- अनुबन्ध एवं भुगतान की कार्यवाही बजट एवं साख-सीमा की उपलब्धता होने पर की जायेगी।**
- 25- किसी एक या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित हैं।

सहायक अभियन्ता-प्रथम
बाढ़ खण्ड, पूरनपुर पीलीभीत

पत्राक _____ / स0अ0 / बा0ख0पू0पी0 / तादिनाँक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता(शारदा),सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, बरेली।
2. अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर-खीरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, शारदानगर, लखीमपुर-खीरी।
3. सहायक अभियन्ता-द्वितीय/तृतीय, बाढ़ खण्ड, पूरनपुर पीलीभीत।
4. जिला सूचना अधिकारी, पीलीभीत।
5. नोटिस बोर्ड पर चरप्पा हेतु।

सहायक अभियन्ता-प्रथम
बाढ़ खण्ड, पूरनपुर पीलीभीत